नव उदय

बिहार सेवा संहिता –अवकाश नियम

State Council of Educational Research & Training, Bihar

Mahendru, Patna - 6

नियम—152

- छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह समक्ष प्राधिकार के विवेक पर निर्भर करता है।

बिहार सेवा संहिता
01 दिसम्बर 1952 से लागू

बिहार सेवा संहिता के तहत राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश

आकस्मिक अवकाश

- वित्त विभाग के ज्ञाप सं0–6926 दिनांक–28.07.1973 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में कुल 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है।
- एक मुश्त 08 दिनों की हीं आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की जाएगी।
- सरकारी छुट्टी एवं रविवार के साथ मिलाकर अधिकतम 12 दिनों की छुट्टी का उपभाग किया जा सकता है। लगातार 12 दिनों से अधिक होने पर उपार्जित अवकाश के रूप में गणना की जाएगी।
- आकस्मिक अवकाश का उपभोग न होने पर व्यपगत (Lapse) हो जाता है।

विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Leave)

- वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1977 दिनांक–04.04.1992 द्वारा नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है।

प्रतिबंधित/ऐच्छिक आकस्मिक अवकाश (Restricted Holiday)

- एक कैलेंडर वर्ष में कुल 3 दिनों के **प्रतिबंधित अवकाश** का प्रावधान किया गया है।
- एक कैलेंडर वर्ष में सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से इच्छा अनुसार किन्ही तीन अवकाश का उपभोग किया जात सकता है।
- आकस्मिक अवकाश का उपभोग न होने पर व्यपगत (Lapse) हो जाता है।

उपार्जित अवकाश
नियम– 228, 230 एवं 248(क)

- नियम–228

विश्रामावकाशी विभाग होने के कारण शिक्षक के मामलें में चूँकि लगभग 60 दिनों का अवकाश यथा ग्रीष्मावकाश, दशहरा, दीपावली, छठपुजा इत्यादि का सामूहिक अवकाश होता है। शेष 305 दिनों के 22वें भाग के बराबर उपार्जित अवकाश देय होगा।

- नियम–230

अर्जित छुट्टी अंशतः या समुची दी जा सकती है।

- नियम–248(क)

छुट्टी शुरू होने से पूर्व के पूर्ववर्ती 10 महीनों में औसत मासिक वेतन के बराबर वेतन देय होगा।

आधे वेतन पर की छुट्टी
नियम– 232

- निजी काम के लिए या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर
- सरकारी सेवक को प्रतिवर्ष 20 दिनों का आधे वेतन पर की छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है।

- इसकी गणना निम्न प्रकार किया जाता हैः–

  यदि किसी सरकारी सेवक का कुल सेवा अवधि 15 वर्ष हुई हो तो आधे वेतन पर की छुट्टी कुल 15X20=300 दिन होगी।

- आधे वेतन पर की छुट्टी तब तक न दी जाएगी जब तक की सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास हो कि वह छुट्टी के पश्चात सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की स्थिति में यह नियम शिथिल किया जाएगा।

रूपांतरित अवकाश
नियम– 234

- सरकारी सेवक अपनी पसंद से आधे वेतन पर की बाकी छुट्टी को " पूरे वेतन पर की छुट्टी " में रूपांतरित करवा सकता है। यह केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर हीं मिलेगी, परन्तु पूरे सेवाकाल में 180 दिनों से अधिक नहीं होगी।
- रूपांतरित छुट्टी के साथ उपार्जित अवकाश भी दी जा सकेगी।
- रूपांतरित अवकाश तब तक न दी जाएगी जब तक की सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास हो कि वह छुट्टी के पश्चात सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की स्थिति में यह नियम शिथिल किया जाएगा।

प्रसव अवकाश (Maternity Leave)

नियम–220

- दो से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को कुल 180 दिनों की प्रसव छुट्टी अनुमान्य है।
- ऐसी छुट्टी में सम्बद्ध सरकारी सेवक का छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाता था।
- प्रसव अवकाश के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है लेकिन प्रसव छुट्टी के क्रम में माँगी गई किसी तरह की छुट्टी तभी दी जा सकती है जब निवेदन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो।

- प्रसव छुट्टी, छुट्टी–लेखे में विकलित न की जायेगी।

- इस नियम के अधीन प्रसव छुट्टी गर्भस्त्राव एवं गर्भपात के मामलों में भी निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए दी जा सकती हैः–

(i) छुट्टी की अवधि छः सप्ताह से अधिक न हो और

(i i) छुट्टी आवेदन निबन्धित चिकित्सक के प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित हो। किन्तु संदेहास्पद मामले में असैनिक शल्य चिकित्सक या किसी चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाण पत्र माँगा जा सकेगा।

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

- दो से कम जीवित संतान वाले पुरूष सरकारी सेवकों को एक बार में 15 दिनों की प्रसव छुट्‌टी अनुमान्य है।
- पितृत्व अवकाश संतान की संभावित जन्म तिथि से 15 दिन पूर्व एवं 6 माह बाद तक उपभोग किया जा सकता है। यह छुट्‌टी एकमुश्त 15 दिनों हेतु देय है।
- ऐसी छुट्‌टी में सम्बद्ध सरकारी सेवक का छुट्‌टी वेतन वही होगा जो वह छुट्‌टी पर जाने के पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाता था।
- पितृत्व अवकाश के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्‌टी दी जा सकती है लेकिन पितृत्व छुट्‌टी के क्रम में माँगी गई किसी तरह की छुट्‌टी तभी दी जा सकती है जब निवेदन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो।
- पितृत्व छुट्‌टी, छुट्‌टी–लेखे में विकलित न की जायेगी।

शिशु देखभाल अवकाश
नियम–220ए

- वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–640 दिनांक–19.01.15 द्वारा बिहार सेवा(द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के तहत नियम–220 के बाद नियम–220ए अन्तःस्थापित किया गया।
- इस नियम के तहत अव्यस्क संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान, केवल दो संतान तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन–पोषण या देखभाल के लिए दो वर्ष (730 दिन) की शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है।
- शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में मंजुर करने वाले पदाधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी (स्वीकृति) के बिना कोई कर्मचारी छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा।

- शिशु देखभाल अवकाश 15(पन्द्रह) दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं होगी।
- अवकाश के दौरान पड़ने वाले राजपत्रित अवकाश, शनिवार एवं रविवार की भी गणना की जाएगी।
- शिशु देखभाल अवकाश परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी।
- शिशु देखभाल अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक मंजूर नहीं की जा सकेगी।
- ऐसी छुट्टी में सम्बद्ध सरकारी सेवक का छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्यस्थ रहते हुए पाता था।
- शिशु देखभाल अवकाश अवधि में मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता हीं देय होगा।
- परिवहन भत्ता या नियत यात्रा भत्ता भुगतान नही किया जाएगा।

असाधारण अवकाश (EOL- Extra ordinary Leave)
(Leave Without Salary)
नियम–180 / 236

- विशेष परिस्थितियों में और जब कोई अन्य अवकाश आवेदक के जिम्मे शेष नहीं हो। ऐसी छुट्टी, छुट्टी लेखे में विकलित नहीं की जा सकती है। ऐसी छुट्टी में कोई छुट्टी वेतन अनुमान्य नहीं है।
- छुट्टी मंजूर करने के लिये शक्तिमान–प्राधिकारी किसी अनुमान्य छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है और बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की कालावधि की भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है।

- सेवा के तीन वर्ष से कम पूर्ण होने की स्थिति में अधिकतम तीन माह का असाधारण अवकाश देय है। सेवा के एक वर्ष पूर्ण होने पर क्षय एवं कुष्ठ रोग के ईलाज हेतु अधिकतम 18 माह का असाधारण अवकाश देय होता है।
- अवकाश से वापस आने पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने का बांड भरकर देना होता है। अन्यथा की स्थिति में प्राप्त वेतन का 10 गुणा, ब्याज सहित सरकार को भुगतान करना होगा।

असाधारण अवकाश (Extra ordinary salary)

- बि0से0सं, नियम–76 लगातार 5 वर्ष से अधिक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्त हो जायेगी भलें हीं पूर्व स्वीकृत अवकाश पर हों।
- वेतनवृद्धि– पिछले 12 माह में लगातार छः माह की सेवापूर्ण होने पर भी अनुमान्य होता है।

अध्ययन अवकाश (Study Leave)
नियम– 204 से 219

- 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अनुमान्य परन्तु सेवानिवृति के 3 वर्ष पूर्व देय नही।
- न्यूनतम– 12 महीना एवं अधिकतम– 24 महीना देय जिसे विषेश परिस्थिति में 29 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
- अवैतनिक / सवैतनिक, सक्षम प्राधिकार पर निर्भर करना है।

छुट्टी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार (बिहार कार्यपालिका नियमावली का नियम–21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची खण्ड–ख)

- आकस्मिक एवं प्रतिबंधित–

  ठीक उपर के स्तर का ऐसा पदाधिकारी जिसके अधीन संबंधित सरकारी सेवक कार्यरत हो।

- आकस्मिक एवं प्रतिबंधित से भिन्न अन्य अवकाश–

  जिस पदाधिकारी के अधीन संबंधित कर्मी कार्यरत हो उसकी अनुशंसा पर संबंधित विभागाध्यक्ष।

Q
&
A

धन्यवाद